

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

तेलंगाना, हैदराबाद - ५०० ००४

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) TELANGANA, HYDERABAD - 500 004

NO. PAG (Audit) TS/Legal Cell/APAR/2025-26/

Dated: 24/06/35

<u> परिपत्र/CIRCULAR</u>

विषय : वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यनिष्ठा कॉलम को भरने से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश - के संबंध में।

> Instructions / Guidelines relating to filling up the Integrity Column of Annual Performance Assessment Reports - Reg.

> > ***

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/27/2015-स्था. (A-II) के पैरा 3 के अनुसार, रिपोर्ट किए गए अधिकारी की एपीएआर के सत्यनिष्ठा कॉलम के समक्ष टिप्पणी रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तीन विकल्पों में से एक में की जाएगी।

As per para 3 of DoPT OM No. 21011/27/2015-Estt. (A-II) dated 11.02.2016, remarks against the Integrity column of the APARs of the officer reported upon shall be made by the Reporting Officer in one of the three options mentioned below :

- a) संदेह के परे Beyond doubt
- चूंकि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, इसलिए एक गुप्त नोट संलग्न किया गया है।
 Since the integrity of the officer is doubtful, a secret note is attached.
- c) मैंने अधिकारी के कार्य को पर्याप्त समय तक नहीं देखा है जिससे कि कोई निश्चित निर्णय ले सकूं, लेकिन अधिकारी के बारे में मुझे कोई प्रतिकूल सूचना नहीं मिली है। Not watched the officer's work for a first or the second second

Not watched the officer's work for sufficient time to form a definite judgement but nothing adverse has been reported to me about the officer.

इसलिए, यह सूचित किया जाता है कि सभी रिपोर्टिंग अधिकारियों को रिपोर्ट किए गए अधिकारी की सत्यतिष्ठा के बारे में स्पष्ट और श्रेणीगत उल्लेख करना चाहिए। रिपोर्ट किए गए अधिकारी की सत्यतिष्ठा पर संदेह होने की स्थिति में, एपीएआर में सत्यतिष्ठा कॉलम भरने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए।

Hence, it is informed that all the Reporting Officers should make clear and categorical mention about the integrity of the officer reported upon. In case of doubt of the integrity of the officer reported upon, the procedures prescribed for filling up the integrity column in APARs are to be followed appropriately.

(प्रापिकारी: मुख्यालय कार्यालय पत्र संख्या 29/Staff (Disc.-I)/2025 दिनांक 05.06.2025

Authority: Hqrs. Office Lr. No. 29/Staff (Disc.-I)/2025 dated 05.06.2025.)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधिक कक्ष

प्रतिलिपि/Copy to:

- सूचना पट्ट, कार्यालय प्र.म.ले.(ले.प.), तेलंगाना/Notice Board, O/o PAG (Audit) Telangana
- 2. सूचना पट्ट, कार्यालय म.नि.(कें.), हैदराबाद/Notice Board, O/o DGA (Central) Hyderabad
- व.ले.प.अ./आईएस विंग कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए/ SAO / IS Wing - for uploading of office website.